रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 471] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 1982/आश्विन 22, 1904
No. 471] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 1982/ASVINA 22, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्तूबर, 1982

का० आ० 744(अ) :—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का०आ० 98 (अ)/उ०वि०व०अ०/29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची I लघु क्षेत्र लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में :—

(1) क्रम सं० 117 के सामने, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"80 गेज से ऊपर के नंगे रबर के धागों और तापरोधी रबर के धागों को छोड़कर, रबर के धागे।"

(2) क्रम सं० 365 के सामने, तीसरे स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"निम्नलिखित मदों को जिनके विनिर्देशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं, छोड़कर स्टील वाल्ट्स सेफ तथा कैश-बॉक्स :

(i) अग्नि रोधी अभिलेख संरक्षण उपस्कर :—अन्तर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा उनके विनिर्देश सं० आई एस ओ आर-834 में विनिर्दिष्ट समय तापमान ग्राफ के विरुद्ध 1000° सें० तक दो घंटे का परीक्षण।

इस परीक्षण में अग्नि परीक्षण के मध्य में एक पात परीक्षण भी सम्मिलित है। इस कैबिनेट का परीक्षण और प्रमाणन् केन्द्रीय निर्माण अनुसंधान संस्थान, रूड़की या समरूप अनुमोदित परीक्षण संगठन द्वारा किया जाएगा।

(ii) अग्नि और चोर रोधी सेफ जो कि "विशेषज्ञ परीक्षण आक्रमण" सहन कर सके।

"विशेषज्ञ परीक्षण आक्रमण", को मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार नीचे परिभाषित किया गया है।

(i) परीक्षण दल में, दो अनुभवी प्रचालक होंगे जिन्होंने नमूना सेफ का अध्ययन किया है और जो उसकी संरचना और प्रचालन के ब्यौरों से पूर्णतया परिचित हो। उन्होंने उस सेफ के संघटक ब्यौरों तथा असेम्बली आरेखण का पूर्णतया अध्ययन किया होगा।

(ii) उपलब्ध औजारों में सभी हाथ के सामान्य औजार होंगे जिनके अन्तर्गत 3.5 कि०ग्रा० तक के आकार के अलेज हथौड़े और 1½ मीटर तक लम्बी सब्बल भी है। विद्युत चालित औजारों के अन्तर्गत हैं, 25 मि०मी०

तक के आकार के विद्युत समाघात हथौड़े, वहनीय वेधनी दाब या वेधनी धारक यंत्र क्रिया जिसमें 12 मि॰मी॰ तक के आकार की वहनीय विद्युत वेधनियाँ समा सकें; कार्बाइड टिप्ड वेधनी (साधारण एच एस एस वेधनी नहीं) प्रयुक्त होंगे। 200 मि॰मी॰ व्यास तक के विद्युत चालित आरे तथा 62.5 मि॰मी॰ तक के विवर आरे और अधिकतम 200 मि॰मी॰ लम्बाई के ब्लेड वाले प्रत्यागामी आरे।

(iii) उद्देश्य यह होगा कि या तो कम से कम 40 वर्ग सें॰ मी॰ का छिद्र हो जाए या ताला टूट जाए और द्वार में पच्चर लगा कर खोल दिया जाए।

(iv) उपर्युक्त सम्पूर्ण परीक्षण एक विनिर्दिष्ट समय तक चलेगा।

(III) जौहरी का सेफ जो "विशेषज्ञ परीक्षण आक्रमण" सहन कर सके। "विशेषज्ञ परीक्षण आक्रमण", मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार नीचे परिभाषित किया गया है।

यह ऊपर वर्णित अग्नि और चोर रोधी सेफ के अनुसार होगा किन्तु इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण संवर्धन होंगे :

(क) आक्सी-एसिटीलीन गैस कर्तन टार्च, आक्रमण के लिए अनुज्ञात की जाएगी। उपभोग की गई गैस की मात्रा आक्सीजन और ईंधन गैस के संयुक्त योग के 30 क्यू॰मी॰ तक सीमित की जाएगी।

(ख) इन सेफों में एक संयुक्त ताला होना चाहिए। ताला ऐसा होना चाहिए जो छलसाधन द्वारा न खोला जा सके और उसमें दस लाख विभिन्न संयोजनों की क्षमता होनी चाहिए।

(ग) उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसमें ऐसा ताला लगाया जा सके जो दो क्रियाएं करने के पूर्व न खुल सके।

(घ) सेफ में संघटकों को तोड़ने, विस्फोटकों अथवा उष्मा द्वारा सक्रियाकृत स्वतः ताला पुनः बन्द करने की कई युक्तियां होंगी और गंभीर झटके से सक्रिय होकर सेफ स्वतः पुनः बन्द करने की युक्ति भी होगी। यदि विस्फोटकों या किसी अन्य साधन से कोई ताला विस्थापित हो जाता है तो सेफ का स्वतः ही पुनः ताला लग जाएगा।

(ङ) आक्रमण का उद्देश्य 13 वर्ग सें॰ का छिद्र करना है।

(च) यह आक्रमण, अग्नि तथा चोर रोधी सेफ के आक्रमण से दो गुणा समय तक चलेगा।

(IV) सुरक्षित निक्षेप लाकर :—लाकर के दरवाजे खंचित किनारों वाले होंगे जिससे कि वे आपस में फंस जाएं और इस प्रकार सब्बल आक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोध बल्कि एक दूसरे से परिवर्तनीयता भी सुनिश्चित की जा सके। यह सर्विसिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

ताले परस्पर परिवर्तनीय होंगे, यह भी सर्विसिंग के प्रयोजनार्थ आत्यंतिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ताला, किरायेदार, जिसके पास किराएदार की चाबी होगी और अभिरक्षक के, जिसके पास संपूर्ण प्रतिष्ठापन, जिसमें कई सौ लाकर हो सकते हैं, के लिए एक मास्टर चाबी होगी, संयुक्त नियंत्रण में होगा। ताले के लीवर संयोजन, कम्प्यूटर जनित होंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दो चाबियां एक जैसी नहीं हैं और यह कि कोई ताला केवल अपनी ही चाबी से खोला जा सके। किराएदार द्वारा चाबियां खो जाना सामान्य बात है और तोड़ कर खोलने (कोई दोहरी चाबी या अभिलेख नहीं रखे जाते) दरवाजे को तुरन्त मरम्मत और नए परस्पर परिवर्तनीय ताले को दोबारा लगाने की प्रणाली सर्विसिंग की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है। यदा कदा अभिरक्षक की चाबी भी खो जाती है जिससे कि सैकड़ों लाकर खतरे में पड़ जाते हैं। ऐसी दशा में एक यांत्रिक को उसी स्थल पर रहने के लिए तैनात करना पड़ता है, ग्राहकों को एक-एक करके बुलाया जाता है और उनकी उपस्थिति में लॉकर खोले जाते हैं तथा ताले की यंत्र-क्रिया का अभिरक्षक वाला भाग, नई मास्टर चाबी के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाता है। यह एक प्रमुख संक्रिया है।

(V) सेफ, जिनमें सुरक्षित निक्षेप लाकर हैं: यह इस प्रकार विनिर्दिष्ट की जा सकती है कि इसमें अग्नि और चोर प्रतिरोधी सेफ तथा ऊपर उपदर्शित सुरक्षित निक्षेप लाकर दोनों के विशेष लक्षणों का समावेश होगा।

यह मद उन बैंकों में प्रयुक्त की जाती है जिनके अपने प्रबलित कक्ष नहीं है और बड़े होटलों में भी ग्राहकों को मूल्यवान वस्तुएं रखने के लिए एक सेवा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। यहां होटल के उन अतिथियों को, जिनकी चाबी खो गई हो और जिनके पास मूल्यवान वस्तुएं जैसे कि धन, एयरलाइन टिकट और पासपोर्ट हों, तुरन्त सेवा करने की योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि 2085 मि॰मी॰ ऊंचाई के आकार का यूनिट जिसका भार लगभग 2 1/2 टन है, सबसे अधिक लोकप्रिय है और इसके विनिर्माण के दौरान एक शिरोपरि क्रेन अपेक्षित होती है।

(3) क्रम संख्यांक 223, 614 और 615 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (2) के अनुसरण में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसकी समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे औद्योगिक उपक्रम का, जो उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क, या धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (घ) के प्रवर्तन से पूर्व छूट प्राप्त था और जो इस अधिसूचना के आधार पर इस प्रकार छूट प्राप्त नहीं है, कोई स्वामी केन्द्रीय सरकार द्वारा, इस निमित्त जारी की गई किसी अनुज्ञप्ति के अधीन और उसके अनुसार ही ही और राज्य सरकार की दशा में केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के अधीन और उसके अनुसार ही ऐसे उपक्रम का कारबार चलाएगा, अन्यथा नहीं।

[का॰सं॰ 10/6/82-एल पी]
सं॰के॰मोदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी

अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 98(अ)/उ औ वि अ/29ख/ 73/1, तारीख 16-2-1973 का बाद में निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया है:

(1) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 1817, तारीख 18-6-73

(2) अधिसूचना सं॰ का॰आ॰ 671(अ)/उ औ वि अ/73/3 तारीख 31-10-1973

(3) अधिसूचना सं० का०आ० 122(अ)/उ औ वि अ/74/3 तारीख 26-2-1974

(4) अधिसूचना सं०का०आ० 123(अ)/उ औ वि अ/29ख/74/2 तारीख 26-2-1974

(5) अधिसूचना सं०का०आ० 152(अ)/उ औ वि अ/74/13 तारीख 29-8-1974

(6) अधिसूचना सं० का०आ० 220 (अ)/उ और वि अ/29ख/75/4 तारीख 19-5-1975

(7) अधिसूचना सं० का०आ० 369(अ)/उ औ वि अ/29ख/75/1 तारीख 21-7-1975

(8) अधिसूचना सं० का०आ० 652(अ)/उ औ वि अ/75/9 तारीख 13-11-1975

(9) अधिसूचना सं०का०आ० 406(अ)/उ औ वि अ/29ख/75/2, तारीख 5-6-1976

(10) अधिसूचना सं० का०आ० 736 (अ)/उ औ वि अ/29ख/75, तारीख 16-12-1976

(11) अधिसूचना सं० का०आ० 801(अ)/उ औ वि०अ/29ख/76, तारीख 17-12-1976

(12) अधिसूचना सं० का०आ० 249(अ)/उ औ वि अ/29ख/75 तारीख 4-4-1978

(13) अधिसूचना सं० का०आ० 281(अ)/, तारीख 26-4-1978

(14) अधिसूचना सं० का०आ० 750(अ), तारीख 30-12-1978

(15) अधिसूचना सं० का०आ० 479(अ), तारीख 22-8-1979

(16) अधिसूचना सं० का०आ० 563(अ), तारीख 3-10-1979

(17) अधिसूचना सं० का०आ० 564(अ), तारीख 4-10-1979

(18) अधिसूचना सं० का०आ० 758(अ), तारीख 24-11-1979

(19) अधिसूचना सं० का०आ० 761(अ), तारीख 27-11-1979

(20) अधिसूचना सं० का०आ० 48(अ), तारीख 19-1-1980

(21) अधिसूचना सं० का०आ० 100(अ), तारीख 18-2-1980

(22) अधिसूचना सं० का०आ० 193(अ), तारीख 14-3-1980

(23) अधिसूचना सं० का०आ० 312(अ), तारीख 12-5-1980

(24) अधिसूचना सं० का०आ० 344(अ), तारीख 23-5-1980

(25) अधिसूचना सं०का०आ० 594(अ), तारीख 31-7-1980

(26) अधिसूचना सं० का०आ० 610(अ), तारीख 2-8-1980

(27) अधिसूचना सं० का०आ० 861(अ), तारीख 24-10-1980

(28) अधिसूचना सं० का०आ० 868(अ), तारीख 25-10-1980

(29) अधिसूचना सं० का०आ० 879(अ), तारीख 5-11-1980

(30) अधिसूचना सं० का०आ० 880(अ), तारीख 5-11-1980

(31) अधिसूचना सं० का०आ० 115(अ), तारीख 19-2-1981

(32) अधिसूचना सं० का०आ० 293(अ), तारीख 7-4-1981

(33) अधिसूचना सं० का०आ० 320(अ), तारीख 25-4-1981

(34) अधिसूचना सं० का०आ० 407(अ), तारीख 2-6-1981

(35) अधिसूचना सं० का०आ० 516(अ), तारीख 27-6-1981

(36) अधिसूचना सं० का०आ० 621(अ), तारीख 3-8-1981

(37) अधिसूचना सं० का०आ० 655(अ), तारीख 18-8-1981

(38) अधिसूचना सं० का०आ० 909(अ), तारीख 23-12-1981

(39) अधिसूचना सं० का०आ० 49(अ), तारीख 25-1-1982

(40) अधिसूचना सं० का०आ० 556(अ), तारीख 6-8-1982

(41) अधिसूचना सं० का०आ० 603(अ), तारीख 17-8-1982

(42) अधिसूचना सं० का०आ० 623(अ), तारीख 31-8-1982

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 1982

S.O. 744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. S.O. 98(F)/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973, namely :—

In the said notification, in Schedule I—List of Reserved Items for Small Scale Sector :—

(1) against Serial No. 117, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

'Rubber thread except bare rubber thread of over 80 guages and heat resisting rubber thread".

(2) against Serial No. 365, for the entry in the third column, the following entry shall be substituted, namely :—

"Steel Vaults, Safes and Cash Boxes excluding the following items of which detailed specifications are given below :

(I) Fire Resistant Record Protection Equipment test for two hours upto 1000 °C against the time temperature graph specified by the International Standard Organisation in their specification No. ISOR-834. The test is inclusive of a drop test midway through the fire test. The Cabinet to be tested and certified by the Central Building Research Institute, Roorkee or similar approved testing organisation.

(II) Fire and Burglar Resistant Safe which can withstand 'Expert Test Attack'
'Expert Test Attack' is defined hereunder as per recognised testing procedure.

(i) The testing party shall consist of two experienced operations who have studied the sample safe and are fully familiar with its detailed construction and operation. They will also have fully studied the detailed component and assembly drawing of the safe.

(ii) The tools available shall be all the common hand tools including sledge hammers upto 3.5 Kg. size and crow bars upto 1½ metres long power tools will include portable electric impact hammers upto 25mm size, portable drill presses or drill holding mechanisms to accommodate portable electric drills upto 12mm size; Carbide tipped drills will be used (and not just plain HSS drills). Also power saws upto 200mm in diameter and hole saws upto 62.5mm in diameter and reciprocating saws with maximum blade length 200mm.

(iii) The objective will be of either making a hole of minimum 40 Sq. CM or knocking off the lock and wedging open the door.

(iv) The total above test attack will last for a specific time.

(III) Jewellers Safe.—which can withstand "Expert Test Attack".

"Expert Test Attack" is defined hereunder as per recognised testing procedure.

This will be as per the Fire and Burglar Resistant Safe described above, but with the following vital additions :

(a) Oxy.—Acetylene gas cutting torch will be allowed for attack. The quantity of gas consumed shall be limited to 30 Cu.m. of combined total oxygen and fuel gas.

(b) One Combination Lock is mandatory on these Safes. The lock should be manipulation proof and be capable of one million different combinations.

(c) There shall be provision for fitting a 2 movement time lock

(d) The safe will have several automatic relocking devices activated by components breaking, explosives, very high temperature and severe shock to automatically re-lock the safe Also in case any lock is dislodged by means of explosives or other means, the safe will authematically re lock

(e) The objective of the attack will be [illegible] make a hole of 13 sq cm

(f) T[illegible] attack is required [illegible] tons as for the Fire and Burglar [illegible]

(IV) Safe Deposit Lockers —The locker doors will [illegible] thus [illegible] bar attack but also interchange [illegible] with each other [illegible] the [illegible]

The locks will be interchangeable [illegible] themselves, which [illegible] for servicing purposes Each lock is jointly controlled by the [illegible] and [illegible] the custodian who [illegible] master [illegible] for the entire installation which [illegible] hundred [illegible] ers

The lock [illegible] combination [illegible] shall be [illegible] and [illegible] each lock

This [illegible] and a system [illegible] breaking open [illegible] keys or [illegible] urgently [illegible] the door and refitting [illegible] lock [illegible] all there [illegible] hundreds of [illegible] customer [illegible] the [illegible] the [illegible] owner [illegible]

(V) [illegible] Lockers—[illegible] be [illegible] the special features of both Fire and Burglary Resistant Safe and the Safe Deposit Locker as indicated above

The [illegible] use by Banks, which [illegible] have their [illegible] large hotels as a service to their customers for keeping their valuables Here the ability for urgent service to hotel [illegible] who may have lost their keys and may [illegible] tickets and passports [illegible] vital

On [illegible] other [illegible] that the most popular size is the 2085 mm high unit which weighs around 2[illegible] tons and requires an overhead crane during its manufacture "

(3) Serial No 223 [illegible] 614 and [illegible] and entries relating thereto shall be omitted

2 In pursuance of sub section (2) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby specifies a period of six months from the date of publication of this notification as the period after the expiry of which no owner of any industrial undertaking which was previously exempted from the operation of Sections 10 11 11A or clause (d) of sub section (1) of section 13 of the said Act and which is not so exempt by virtue of this notification shall carry on the business of such undertaking, except under and in accordance with a licence issued in this behalf by the Central Government and, in the case of a State Government, except under and in accordance with the previous permission of the Central Government

[F No 10/6082-LP]
C K MODI, Jt Secy.

NOTE

Notification No S O 98(E)/IDRA/29B 73/1 dated 16 2 [illegible] subsequently amended by

(1) [illegible] No S O 181 [illegible]
(2) [illegible] No S O 671(E) [illegible] and 31 10 73
(3) [illegible] No S O 122(E)/IDRA/74/3 dated [illegible] 2 7
(4) Notification No S O 123(E)/IDRA/29B/74/2 dtd 26 2 74
(5) Notification No S O 1[illegible]2(E)/IDRA/74/13 dtd 29 8 74
(6) Notification No S O 220(E)/IDRA/29B/75 dtd. 19-5 75
(7) Notification No S O 368(E) IDRA/29B/75/4 dtd 21 7 75
(8) Notification No S O 652(E)/IDRA/75/9 dtd 15 11 75
(9) Notification No S O 496(E)/IDRA/29B/76/2 dtd. 5 6 76
(10) Notification No S O 7[illegible](E) IDRA/29B/75 dtd. 16-12 76
(11) Notification No S O 801(E)/IDRA/29B/76 dtd. 17 12 76
(12) Notification No S O 249(E)/IDRA/29B/75 dated 4 1 78
(13) Notification No S O 281(E) dtd 26-4-78
(14) Notification No S O 750(E)/dtd 30-12-78.
(15) Notification No S O 479(E) dtd 22-8-79
(16) Notification No S O 563(E) dtd 3-10-79
(17) Notification No S O 564(E) dtd 4-10-79
(18) Notification No S O 758(E) dtd 24-11-79
(19) Notification No S O 761(E) dtd 27-11-79
(20) Notification No S O 48(E) dtd 19-1-80
(21) Notification No S O 100(E) dtd 18-2-80
(22) Notification No S O 193(E) dtd 14-3-80
(23) Notification No S O 312(E) dtd 12-5-80
(24) Notification No S O 344(E) dtd 23-5-80
(25) Notification No S O 594(E) dtd 31-7 80
(26) Notification No S O 610(E) dtd 2-8 80
(27) Notification No S O 861(E) dtd 24-10-80
(28) Notification No S O 868(E) dtd 25 10-80
(29) Notification No S O 879(E) dtd 5-11-80
(30) Notification No S O 880(E) dtd 5-11-80
(31) Notification No S O 115(E) dtd 19-2-81
(32) Notification No S O 293(E) dtd 7-4-81
(33) Notification No S O 320(E) dtd 25-4 81
(34) Notification No S O 407(E) dtd 2-6-81
(35) Notification No S O 516(E) dtd 27-6-81
(36) Notification No S O 621(E) dtd 3-8-81
(37) Notification No S O 655(E) dtd 18-8-81
(38) Notification No S O 909(E) dtd 23-12-81
(39) Notification No S O 49(E) dtd 25-1-82
(40) Notification No S O 556(E) dtd 6-8-82
(41) Notification No S O 603(E) dtd 17-8-82
(42) Notification No S O 623(E) dtd. 31-8-82

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982